UPAU010024352026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, औरैया।

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या–181/2026

रमेश सिंह पुत्र बालकराम निवासी ग्राम लक्ष्मनपुर थाना अजीतमल, जिला औरैया।

.... प्रार्थी।

बनाम

1–सर्वेश सिंह पुत्र पातीराम

2–मुलायम सिंह पुत्र पातीराम

निवासीगण ग्राम लक्ष्मनपुर थाना अजीतमल, जिला औरैया।

........................विपक्षीगण।

दिनांक 11.08.2026

1– पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को अन्तरण प्रार्थनापत्र 3ख पर विगत तिथि पर सुना जा चुका है।

2– अन्तरण प्रार्थना पत्र 3ख इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त मुकदमे से सम्बन्धित मुकदमा संख्या 1800/2021 राज्य बनाम सर्वेश सिंह आदि धारा 323, 325, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता थाना अजीतमल न्यायालय सिविल जज (सी0डि0)/एफ0टी0सी0, औरैया में लम्बित है, जो सत्र परीक्षण संख्या 80/2025 अन्तर्गत धारा 308, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता थाना अजीतमल जिला औरैया का क्रॉस केस है। अतः आवेदक द्वारा न्यायालय सिविल जज (सी0डि0)/एफ0टी0सी0, औरैया में विचाराधीन मुकदमा संख्या 1800/2021 राज्य बनाम सर्वेश सिंह आदि धारा 323, 325, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता थाना अजीतमल जिला औरैया की पत्रावली को सत्र न्यायालय में अन्तरित किये जाने की याचना की गयी है।

3– विपक्षीगण की ओर से कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है।

4– न्यायालय सिविल जज (सी0डि0)/एफ0टी0सी0, औरैया से आख्या आहूत की गयी। उपरोक्त आख्या के अनुसार मुकदमा संख्या 1800/2021, राज्य बनाम सर्वेश सिंह आदि की पत्रावली उक्त न्यायालय में लम्बित है। पत्रावली के स्थानान्तरण से उक्त न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है।

5– प्रस्तुत मामले में आवेदक के द्वारा अन्तरण प्रार्थना पत्र में वर्णित सत्र परीक्षण संख्या 80/2025 अन्तर्गत धारा 308, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता थाना अजीतमल जिला औरैया की पत्रावली इस न्यायालय में विचाराधीन है तथा न्यायालय सिविल जज (सी0डि0)/एफ0टी0सी0, औरैया की आख्यानुसार मुकदमा संख्या 1800/2021 राज्य बनाम सर्वेश

सिंह आदि अन्तर्गत धारा 323, 325, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता थाना अजीतमल जिला औरैया की पत्रावली उपरोक्त न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त दोनों प्रकरण आपस में एक–दूसरे के क्रॉस केस बताये गये हैं, जिनका विचारण एक साथ एक ही न्यायालय में किया जाना न्यायोचित है। अतः सिविल जज (सी0डि0)/एफ0टी0सी0, औरैया मुकदमा संख्या 1800/2021 राज्य बनाम सर्वेश सिंह आदि धारा 323, 325, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता थाना अजीतमल जिला औरैया की पत्रावली विधि अनुसार कमिट कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। तद्नुसार अन्तरण प्रार्थनापत्र 3ख निस्तारित किया जाता है।

इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित न्यायालय को अनुपालन हेतु प्रेषित की जाये।

(मयंक चौहान)
सत्र न्यायाधीश,
औरैया।

दिनांक–11.08.2026

Digitally signed by MAYANK CHAUHAN
Date: 2026.08.11 16:23:19 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court